

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर

नरेश चौहान बनाम तहसीलवास लीकडगामी  
 मु.नं. 19/ वर्ष 2025  
 किस्म मुकदमा इमशय

दिनांक	आज्ञा पत्र	वकील प्रावियोग
17 <sup>12</sup> / <sub>25</sub>	पत्रावली पेश हुई	वकील प्रावियोग
	<p>डिहीदार उप.। मकरण इमशय में                      वर्धित निर्णय व डिही की पालना के                      संबंध में तहसीलवास लीकडगामी                      के पत्रांक भू.अ.। 25/4186 डि०                      17 <sup>12</sup>/<sub>25</sub> के करार पालना की जाऊ                      पालना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।                      अतः हस्तगत इमशय में आगे                      कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।                      से हस्तगत पत्रावली की कार्यवाही                      को इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है।                      पत्रावली कैंसल शुमाड होकर ब्यर                      तहसील काबिल कम्प्लट हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
 धौद जिला-सीकर

